वाणिज्य–जोधपुर डिस्कॉम/ 499

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(सी.एवं पी.)/अ.अ.(आर.ए.–सी.)/फा /प्रे. 690 दि. 09.06.09

आदेश

विषयः कृषि कनेक्शन के अनाधिकृत बढे हुए भार की "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना"।

कृषि क्षेत्रों में उपभोक्ताओं द्वारा अनाधिकृत भार बढ़ाने से विद्युत खपत स्वीकृत भार से अधिक हो रही है। विद्युत कोटे का आवंटन स्वीकृत भार के आधार पर किया जाता है जिसमें अनाधिकृत भार वृद्धि से कमी एवं विसंगतियॉं उत्पन्न हो रही है तथा राजस्व की हानि भी हो रही है।

अतएव इस सम्बन्ध में पूर्ण विचार कर यह निर्णय लिया गया है कि कृषि उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" लागू की जाये। तदानुसार कृषि उपभोक्ता यदि अपने कनेक्शन के स्वीकृत भार में अनाधिकृत भार वृद्धि की स्वैच्छिक घोषणा करने का इच्छुक है तो ऐसे उपभोक्ताओं से कोई पेनल्टी राशि नहीं ली जाएगी तथा बढ़े हुए भार के लिये मात्र धरोहर राशि लेकर भार को नियमित कर दिया जाएगा। यह योजना उसी कुएं पर लगी मोटर के भार में वृद्धि करने वाले कृषकों पर लागू है। उपभोक्ता की बिलिंग बढ़े हुए भार के अनुसार तुरन्त चालू कर दी जायेगी।

यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे कृषक जो उसी कुंए पर दूसरी मोटर लगाकर भार वृद्धि करते है अथवा दूसरे कुंए पर जो उसी खसरा/खेत परिसर/मुरब्बा में हो, दूसरी मोटर चलाने के लिए भार बढ़ाते है उन्हे इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

यह योजना दिनांक 15 जून, 2009 से लागू होकर 14 सितम्बर, 2009 तक प्रभावी रहेगी। इस योजना की सूचना/जानकारी उपभोक्ताओं को भी दे दी जावे।

आज्ञा से
(एस.के. कुलश्रेष्ठ)
उप मुख्य अभियन्ता (सी. एण्ड पी.)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

नोट : यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाइट www.jdvvnl.com/www.rajenergy.com पर भी उपलब्ध है ।